न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16/2024

अपीलांट्स –

1. आशीदेवी पत्नी भैराराम
   जाति जाट निवासी मीठीबेरी
   तहसील नोखडा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. डालूराम पुत्र जोधाराम
2. खेमीदेवी पत्नी कानाराम
3. रूखी पत्नी गिरधारीराम
4. डालूराम पुत्र खेतुदेवी
5. नगाराम पुत्र खेतुदेवी
6. मगाराम पुत्र खेतुदेवी
7. हरीराम पुत्र खेतुदेवी
   जाति जाट निवासी डउकियों की बेरी,
   मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
8. तहसीलदार नोखडा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश कमांक/भू.अ./745 दिनांक 11.10.2023 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार नोखडा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री केसाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीरमाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 3, 4, 6 एवं 7 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पनाराम जांगिड, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 8 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 30.03.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार नोखडा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 745 दिनांक 11.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा डउकियों की बेरी पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल के खसरा नंबर 63, 64, 65, 65/1 व 65/2 कुल रकबा 24.0950 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 01 से 7 कौम जाट निवासी डउकियों की बेरी, मेहलू के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 10.10.2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

इस पर हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार नोखडा द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 745 दिनांक 11.10.2023 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा डउकियों की बेरी पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल के खसरा नंबर 63, 64, 65, 65/1 व 65/2 कुल रकबा 24.0950 हैक्टेयर अपीलांट एवं रेस्पों. संख्या 01 से 07 को विरासत के रूप में प्राप्त हुई। उतरदाता संख्या 01 से 07 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेत का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व में आपसी सहमति से किए गए बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का प्रत्येक खसरें में पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पक्षकारान के हिस्से अनुसार बंटवाडा करने हेतु सहमति दी। जिस पर दोनों पक्षों ने पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा, अतः इसी अनुसार खेत में लाईन डालकर विभाजन किया जाए। जिस पर पटवारी ने वादग्रस्त खेत में पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया, जिस पर अपीलांट ने अपने सहखातेदारों के कहे अनुसार खाली कागजों पर हस्ताक्षर करके हल्का पटवारी को समझौता प्रस्ताव करने हेतु दिए गए। तत्पश्चात हल्का पटवारी ने नक्शा उतरदाता संख्या 1 से 7 के दबाव में रहते हुए उनके कहे अनुसार तैयार कर तहसीलदार नौखडा के समक्ष पेश कर दिया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनविज्ञ होने से ज्ञान नहीं हो सका और अपीलांट के तहसील से चल जाने के बाद विभाजन आवेदन तहसीलदार से तस्दीक करा दिया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार नौखडा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त योग्य है।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि उक्त बंटवाडा का ज्ञान अपीलांट अनपढ़ व ग्रामीण होने से उसे इतने दिनों तक नहीं हुआ बल्कि बरसात का मौसम नजदीक होने होने से अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर खरीफ फसल की तैयारी हेतु सुड़ आदि करने लगा तब उतरदाता संख्या 1 से 7 ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त करने का कहा, जिस पर अपीलांट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही काबिज है, जिस पर उतरदातागण ने कहा कि मौके की स्थिति में व तरमीम में भिन्नता है जिस पर अपीलांट को अपना

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव व आलोच्य की प्रति दिनांक 03.07.2024 को प्राप्त की, जिस पर अपीलांट को उपरोक्त बंटवाडा मौके के कब्जा काश्त के विपरीत होने की जानकारी का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से यह अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर मयाद स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने दिनांक 10.10.2023 को तहसीलदार नोखड़ा के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा डउकियों की बेरी पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल के खसरा नंबर 63, 64, 65, 65/1 व 65/2 कुल रकबा 24.0950 हैक्टेयर भूमि का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान मनोज विश्नोई, पटवारी (भू.अ.) तहसील नौखड़ा द्वारा की गई। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौखड़ा द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील करीब नौ महीने बाद प्रस्तुत की है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा डउकियों की बेरी पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल के खसरा नंबर 63, 64, 65, 65/1 व 65/2 कुल रकबा 24.0950 हैक्टेयर अपीलांट एवं रेस्पों. संख्या 01 से 07 को विरासत के रूप में प्राप्त हुई। उतरदाता संख्या 01 से 07 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेत का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व में आपसी सहमति से किए गए बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का प्रत्येक खसरें में पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पक्षकारान के हिस्से अनुसार बंटवाडा करने हेतु सहमति दी। जिस पर दोनों पक्षों ने पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा, अतः इसी अनुसार खेत में लाईन डालकर विभाजन किया जाए। जिस पर पटवारी ने वादग्रस्त खेत में पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया, जिस पर अपीलांट ने अपने सहखातेदारों के कहे अनुसार खाली कागजों पर हस्ताक्षर करके हल्का पटवारी को समझौता प्रस्ताव करने हेतु दिए गए। तत्पश्चात हल्का पटवारी ने नक्शा उतरदाता संख्या 1 से 7 के दबाव में रहते हुए उनके कहे अनुसार तैयार कर तहसीलदार नौखडा के समक्ष पेश कर दिया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनविज्ञ होने से ज्ञान नहीं हो सका और अपीलांट के तहसील से चल जाने के बाद विभाजन आवेदन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

तहसीलदार से तस्दीक करा दिया। उक्त बंटवाडा का ज्ञान अपीलांट अनपढ़ व ग्रामीण होने से उसे इतने दिनों तक नहीं हुआ बल्कि बरसात का मौसम नजदीक होने होने से अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर खरीफ फसल की तैयारी हेतु सुड़ आदि करने लगा तब उतरदाता संख्या 1 से 7 ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त करने का कहा, जिस पर अपीलांट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही काबिज है, जिस पर उतरदातागण ने कहा कि मौके की स्थिति में व तरमीम में भिन्नता है जिस पर अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव व आलोच्य की प्रति दिनांक 03.07.2024 को प्राप्त की, जिस पर अपीलांट को उपरोक्त बंटवाडा मौके के कब्जा काश्त के विपरीत होने की जानकारी का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। इस प्रकार ज्ञान की तिथि से यह अपील अंदर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर मयाद स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 ने दिनांक 10.10.2023 को तहसीलदार नोखड़ा के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा डउकियों की बेरी पटवार क्षेत्र गोलिया जेतमाल के खसरा नंबर 63, 64, 65, 65/1 व 65/2 कुल रकबा 24.0950 हैक्टेयर भूमि का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान मनोज विश्नोई, पटवारी (भू.अ.) तहसील नौखड़ा द्वारा की गई। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौखड़ा द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील करीब नौ महीने बाद प्रस्तुत की है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे। हमने अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत इस अपील में यह तथ्य प्रकट किया गया कि उक्त बंटवाडा मौका कब्जा अनुरूप नहीं हुआ है जबकि तहसीलदार नौखडा की मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट एवं रेस्पों. संख्या 01 से 07 का बंटवाडा पूर्व में कब्जा काश्त एवं आपसी सहमति अनुसार होना पाया गया है एवं अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट एवं रेस्पों. संख्या 01 से 07 के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित हैं जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित विभाजन प्रस्ताव से अनभिज्ञ नहीं थे। अपीलांट द्वारा तत्समय ही अपीलाधीन आदेश में त्रुटिपूर्ण विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई थी। तहसीलदार नौखड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम लोहमरोड़ व नेणों की ढाणी के मूल खसरा नंबर 63, 64, 65, 65/1 एवं 65/2 में से वर्तमान खसरा नंबर 63, 64, 489/65,

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

484/65, 490/65, 483/65, 488/65, 482/65, 481/65, 487/65, 480/65, 486/65, 65/1 व 485/65 में वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार खसरा नंबर 65/1, 489/65, 486/65, 480/65, 485/65, 488/65 में मौके पर कट्टाण अनुसार डामर सड़क नहीं बनने के कारण राजस्व रेकर्ड व मौके पर भिन्नता होने के कारण संलग्न बरंग नक्शा व मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्त की जानी उचित है। तहसीलदार नौखड़ा से प्राप्त मौका कब्जा रिपोर्ट अनुसार उक्त विभाजन सही हुआ है। लट्ठा ट्रेस में तरमीम का अंकन भिन्न होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में अपीलाधीन सहमति विभाजन पत्र किसी भी तरह से दूषित नहीं है। यदि लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम विभाजन इकरार अनुसार अंकित नहीं है तो इसके लिए अपीलांट पृथक से तरमीम दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा अपीलांट की हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)